प्रो. अशोक कुमार घोष
पी.एच.डी., इरासमस मुंडस फेलो
अध्यक्ष

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

पत्रांक- **18/Ch.**

पटना, दिनांक:-31.05.2019

प्रेस-विज्ञप्ति

भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998 में देश के चिकित्सा संस्थानों से जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्टों के विनियमन के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 अधिसूचित किया गया, जिसे समय-समय पर संशोधित भी किया गया। वर्तमान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन नियमों की समीक्षा के उपरांत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 को अवक्रमित करते हुए मार्च, 2016 में 'जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016' अधिसूचित किया गया है।

यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू है जो किसी भी रुप में जीव चिकित्सा अपशिष्टों का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन व हथालन करते हैं। इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, पैथोलोजिकल जांच घर, ब्लड बैंक, आयुष अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान आदि शामिल हैं।

नियमावली के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र के अधिभोगी का यह कर्त्तव्य है कि उसके द्वारा ऐसे सभी कदम उठाये जाएं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा जनित जीव चिकित्सा अपशिष्टों के हथालन से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यह सुनिश्चित किया जाना है कि जीव चिकित्सा अपशिष्टों का नियमावली मे वर्णित कलर कोड के अनुरुप पृथक्करण किया जाय एवं अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के माध्यम से ही किया जाय। किसी भी परिस्थिति में जीव चिकित्सा अपशिष्टों को सामान्य नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ मिश्रित किया जाना वर्जित है एवं इन्हें नगर निकायों के अपशिष्ट संग्रहणकर्त्ताओं को नहीं देना है। इसके अतिरिक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार एवं सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

इस नियमावली के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 16.09.2016 को पटना में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में डॉक्टरों द्वारा भाग लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु एसोसिएशन के सचिव डा. ब्रजनंदन कुमार को नामित किया गया था। जनमानस में

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पो०-सदाकत आश्रम, पटना- 800010
दूरभाष नं०- +91 612 2261776/2261250/2262265, फैक्स- +91 612 2261050
ई-मेल- chairmanbspcb@gmail.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in

प्रो. अशोक कुमार घोष
पी.एच.डी., इरासमस मुंडस फेलो
अध्यक्ष

संदेश को फैलाने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मिडिया द्वारा व्यापक रूप से कवरेज भी दिया गया था। पुनः नियमावली के प्रावधानों के अनुसार 'जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन' सहित 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी 9 प्रमण्डलीय मुख्यालयों में आयोजित किये गए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और छपरा में दिसम्बर, 2016 से फरवरी, 2017 के दौरान आयाजित किये गये थे। दिनांक 10.08.2018 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, छपरा शाखा के सहयोग से छपरा में एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनांक 19.01.2019 और 02.02.2019 को क्रमशः समस्तीपुर और जहानाबाद में भी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राज्य पर्षद् के सदस्य-सचिव द्वारा भी आई.एम.ए. के अध्यक्ष एवं सचिव को वार्त्ता के लिए बुलाया गया एवं जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा नियमावली के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के संबंध में समाचार पत्रों में नियमित रूप से विज्ञापन प्रकाशित किया गया। राज्य पर्षद् द्वारा स्वास्थ्य विभाग से भी जिला-स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस नियमावली के प्रावधानों के अनरूप राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 2016 में राज्य में उपरोक्त नियमों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु एक ''राज्य स्तरीय सलाहकार समिति'' का गठन किया गया है, जिसके सदस्यों में अध्यक्ष, इंडियन, मेडिकल एसोसिएशन, बिहार भी शामिल है। डॉ. अजय कुमार, वरीय उपाध्यक्ष, आई.एम.ए., बिहार ने इस समिति की दिनांक 06.07.2017 को सम्पन्न बैठक में भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन करने वाले स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 'जिला अनुश्रवण समिति'' का गठन किया गया है। जिलों के सिविल सर्जन-सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी 'जिला स्तरीय समिति' के सदस्य-सचिव हैं। आई.एम.ए के स्थानीय प्रतिनिधि भी संबंधित जिलों के लिए इस समिति के सदस्य हैं। स्थानीय आई.एम.ए. के अध्यक्ष/उनके प्रतिनिधि दिनांक 29.05.2018; 05.06.2018 एवं दिनांक 11.02.2019 को समस्तीपुर में, दिनांक 21.02.2018 को मधुबनी में एवं दिनांक 18.06.2018 को सीतामढ़ी में सम्पन्न 'जिला अनुश्रवण समिति' की बैठक में उपस्थित थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सभी जिला स्तरीय समितियों को अपने-अपने जिलों में स्थानीय आई.एम.ए. के सहयोग से

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पो०-सदाकत आश्रम, पटना- 800010
दूरभाष नं०- +91 612 2261776/2261250/2262265, फैक्स- +91 612 2261050
ई-मेल- chairmanbspcb@gmail.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in ,

प्रो. अशोक कुमार घोष
पी.एच.डी., इरासमस मुंडस फेलो
अध्यक्ष

प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने हेतु कहा गया है और उनके द्वारा आयोजित भी किये जा रहे हैं।

राज्य पर्षद् द्वारा राज्य में संचालित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। अबतक कुल 24,520 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की पहचान की गयी है जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र के शय्यायुक्त व शय्यारहित केन्द्र शामिल हैं। राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, एवं गया जिला मुख्यालयों में सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र स्थापित हैं। प्राथमिक उपचार केन्द्र तक के सभी सरकारी अस्पताल उनके संबंधित जिलों के ''सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्रों'' के साथ सम्बद्ध हैं। सर्वेक्षण के अनुसार कुल 3619 निजी शय्यायुक्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में से मात्र **2385** केन्द्र ही अपने जैविक कचरों के निपटान हेतु सामूहिक जीव-चिकित्सा उपचार सुविधा से सम्बद्ध हैं। गैर-शय्यायुक्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की एक बड़ी संख्या पैथोलोजिकल जॉच केन्द्र सहित, जो करीब 5800 है, अब भी सामूहिक जीव-चिकित्सा उपचार सुविधा केन्द्र से सम्बद्ध नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसे सुविधा केन्द्रों द्वारा जनित कचरों को सही तरीके से उपचारित नहीं करके सामान्य कचरों के साथ निष्पादित किया जा रहा है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहें हैं।

राज्य पर्षद् द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों द्वारा नियमों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी हेतु राज्य के 22 जिलों में अवस्थित 300 से अधिक केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले वैसी सभी इकाईयों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गयी कि उनके विरूद्व कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 8,000 से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी करते हुए निदेशित किया गया कि अपने द्वारा जनित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के व्यवस्थित निपटान हेतु वे सामूहिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों से सम्बद्ध हो लें एवं नियमानुसार राज्य पर्षद् से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त कर लें। जिन इकाईयो द्वारा इन नोटिसों का कोई जबाब नहीं दिया गया और न ही जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन हेतु सामूहिक उपचार केन्द्र से सम्बद्धता प्राप्त किया गया उनको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत 'Proposed Direction for Closure' जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वे 15 दिनों के भीतर स्पष्ट करें कि जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों की अवहेलना करने के कारण क्यों नहीं उनकी इकाई को बन्द करा दिया जाय? यहॉ यह उल्लेखनीय है कि 'राज्य स्तरीय सलाहकार समिति' द्वारा भी दिनांक

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पो०-सदाकत आश्रम, पटना- 800010
दूरभाष नं०- +91 612 2261776/2261250/2262265, फैक्स- +91 612 2261050
ई-मेल- chairmanbspcb@gmail.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in

प्रो. अशोक कुमार घोष
पी.एच.डी., इरासमस मुंडस फेलो
अध्यक्ष

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

11.05.2018 को सम्पन्न बैठक में राज्य पर्षद् को अनुपालन न कर रहे इकाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

उपर वर्णित नियमावली के 'नियम-10' के अनुसार किसी भी मात्रा में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के अधिभोगियों(Occupiers) को राज्य पर्षद् से प्राधिकार(Authorisation) प्राप्त करना आवश्यक है। शय्यायुक्त(Beded) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को इसके अतिरिक्त राज्य पर्षद से जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम 1974 एवं वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 'सहमति' प्राप्त करना भी वैधानिक बाध्यता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को कुल 1318 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में से उन 486 केन्द्रों को CLOSURE DIRECTION जारी करने को बाध्य होना पड़ा जिन्हें नियमों की अवहेलना करने के कारण Proposed Closure Direction निर्गत किया गया था, जिन्होंने अनुपालनार्थ कोई प्रायास नहीं किया, सामूहिक उपचार केन्द्रों से सम्बद्ध भी नहीं हुए और जिन्होंने पर्षद् द्वारा निर्गत नोटिस का जबाब देना तक उचित नहीं समझा। इससे यह स्पष्टत: स्थापित होता है कि इन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों द्वारा नियमों के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल असर तो डालती ही है, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उद्देश्यों को धता बताती है।

उपर वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य पर्षद् द्वारा जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के संबंध में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी प्रयास किये गए और नियमों के अनुपालन हेतु पर्याप्त समय देने के बावजूद अनुपालन नहीं कर रहे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु बाध्य होना पड़ा।

राज्य में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् आई.एम.ए. समेत सभी हितधारकों के साथ रचनात्क रूप से सहयोग करना चाहती है। अब तक वैसे 31 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को जारी CLOSURE DIRECTION को राज्य पर्षद् द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिनके द्वारा नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन कर लिया गया है।

31/05/18

(अशोक कुमार घोष)
अध्यक्ष

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पो०-सदाकत आश्रम, पटना- 800010
दूरभाष नं०- +91 612 2261776/2261250/2262265, फैक्स- +91 612 2261050
ई-मेल- chairmanbspcb@gmail.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in